HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 28/2026

Jagdish Prasad Bairwa S/o Late Shri Krishna Bairwa, Aged About 52 Years, R/o In Front Of The Post Office, Bandikui Road, Village Sikandra, Tehsil Sikandra, District Dausa, Rajasthan, Presently Residing At C-421, F-1 Residency, Mahesh Nagar, Police Station Mahesh Nagar, Jaipur, Rajasthan

----Accused-Petitioner

Versus

1. The State Of Rajashtan, Through P.P.

.....Non-Petitioner

2. Sitaram Sharma S/o Shri Harinrayan Sharma, Aged About 45 Years, R/o Village Post Bagarthal, P.s Niwai, District Tonk, Rajasthan

----Complainant Non-Petitioner

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajeev Kumar Sogarwal with Mr. Hitesh Haritwal & Mr. Sahil Hussain
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP Mr. Jabarmal Yadav, Addl. S.P., A.C.B., Tonk

---

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

26/02/2026

S.B. Criminal Misc. Stay Application No. 33/2026:-

श्री जाबर मल यादव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी, चौकी–टोंक उपस्थित।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक व विद्वान लोक अभियोजक को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 379/2019 निवाई

के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर दर्ज की गई थी, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता के 5–7 फाइलों को बिना तारीख के चैंबर में रखने के कारण रिश्वत की मांग के आरोप लगाकर दर्ज की गई थी। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर पुलिस ने अंतिम प्रतिवेदन (अदम सबूत) संख्या 26/2021 अदम सबूत में प्रस्तुत किया और पुलिस द्वारा यह माना गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई रिश्वत की मांग नहीं की गई है। तत्पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.04.2022 को बिना किसी आधार के प्रकरण को अग्रिम अनुसंधान के लिए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भेज दिया। उस पर पुनः ब्यूरो द्वारा अनुसंधान कर अंतिम रिपोर्ट (अदम सबूत) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया था, उसको विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 02.12.2023 को आदेश पारित कर प्रकरण अग्रिम अनुसंधान के लिए पुनः प्रेषित कर दिया। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08.04.2022, दिनांक 02.12.2023 में यह नहीं लिखा है कि किन आधारों पर और किन बिंदुओं पर अग्रिम अनुसंधान चाहते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 379/2019 को अपास्त करने के लिए धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत कर रखी है। बिना किसी आधार के प्रार्थी/अभियुक्त पर अग्रिम कार्यवाही की जाती है तो उसके याचिका प्रस्तुत करने का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। अतः याचिका के निर्णय तक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 379/2019 में अग्रिम कार्यवाही को स्थगित किया जावे।

प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी व विद्वान लोक अभियोजक का कथन है कि यह सही है कि 2 बार विभाग द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। न्यायालय के आदेश के कारण प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी व विद्वान लोक अभियोजक यह नहीं बता पाए हैं कि पूर्व में किए गए अनुसंधान के पश्चात स्थितियों में क्या परिवर्तन आया, जिसके कारण से आरोप पत्र प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अतः उभयपक्षों के तर्कों पर मनन करने व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात स्थगन प्रार्थना संख्या 33/2026 स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 379/2019, पुलिस थाना प्रधान आरक्षी केंद्र में अग्रिम आदेश तक कोई कार्यवाही नहीं की जावे।

तद्नुरूप यह स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 28/2026:-

प्रत्यर्थी संख्या 2 के नोटिस जारी किये जावें।

प्रकरण दो सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /134